UPLK010071152023

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

सत्र वाद सं0 1944 / 2023

सरकार बनाम शिवम सिंह आदि

अ0सं0 345 / 2022
धारा–452,323,324,504,506,354ख,
325,308 भा0द0सं0 तथा
धारा 3(1)द, ध, 3(1)डब्लू(1),
3(2)5ए एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
थाना–मोहनलालगंज, लखनऊ।

31–07–2024

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्तगण शिवम सिंह, सुशील सिंह उर्फ श्री नारायन सिंह, अखिलेश सिंह उर्फ धीरज सिंह व देवेन्द्र सिंह उर्फ छोटू सिंह मय अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हैं।

न्यायालय के समक्ष विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्तगण के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 452, 323, 324, 504, 506, 354ख, 325, 308 भा0द0सं0 तथाधारा 3(1)द, ध, 3(1)डब्लू(1), 3(2)5ए एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तद्नुसार अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 03.12.2024 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।

UPLK010071152023

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

सत्र वाद सं0 1944/2023

सरकार बनाम शिवम सिंह आदि

अ0सं0 345/2022
धारा–452,323,324,504,506,354ख,
325,308 भा0द0सं0 तथा
धारा 3(1)द, ध, 3(1)डब्लू(1),
3(2)5ए एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
थाना–मोहनलालगंज, लखनऊ।

आरोप

मैं, दिनेश कुमार मिश्र, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्तगण शिवम सिंह, सुशील सिंह उर्फ श्री नारायन सिंह, अखिलेश सिंह उर्फ धीरज सिंह व देवेन्द्र सिंह उर्फ छोटू सिंह को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ:–

प्रथमः यह कि दिनांक 16.0.2022 व समय 07.00 सुबह थाना मोहनलालगंज, जिला लखनऊ सीमान्तर्गत ग्राम बिन्दौवा में आप अभियुक्तगण शिवम सिंह, सुशील सिंह उर्फ श्री नारायन सिंह, अखिलेश सिंह उर्फ धीरज सिंह व देवेन्द्र सिंह उर्फ छोटू सिंह द्वारा वादिनी मुकदमा भावना कोरी के ऊपर उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात् गृह–अतिचार किया। इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 452 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयःयह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण अभियुक्तगण शिवम सिंह, सुशील सिंह उर्फ श्री नारायन सिंह, अखिलेश सिंह उर्फ धीरज सिंह व देवेन्द्र सिंह उर्फ छोटू सिंह द्वारा वादिनी मुकदमा भावना कोरी व उसके परिवारीजन को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

तृतीयःयह कि तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण शिवम सिंह, सुशील सिंह उर्फ श्री नारायन सिंह, अखिलेश सिंह उर्फ धीरज सिंह व देवेन्द्र सिंह उर्फ छोटू सिंह द्वारा वादिनी मुकदमा भावना कोरी व उसके परिवारीजन को खतरनाक आयुधों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 324 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्तगण शिवम सिंह, सुशील सिंह उर्फ श्री नारायन सिंह, अखिलेश सिंह उर्फ धीरज सिंह व देवेन्द्र सिंह उर्फ छोटू सिंह द्वारा वादिनी मुकदमा भावना कोरी व उसके

परिवारीजन को मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया घोर उपहति कारित की। इस प्रकार आप ने ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

पंचमःयह कि दिनांक व समय अदम तहरीर स्थान पर आप अभियुक्तगण शिवम सिंह, सुशील सिंह उर्फ श्री नारायन सिंह, अखिलेश सिंह उर्फ धीरज सिंह व देवेन्द्र सिंह उर्फ छोटू सिंह द्वारा वादिनी मुकदमा भावना कोरी व उसके परिवारीजन को लाठी डण्डो, धारदार हथियार व बेल्वा से इस आशय व ज्ञान से मारपीट कर हत्या की कोटी में न आने वाले आपराधिक मानव वध करने का प्रयास किया। इस प्रकार आप लोगों द्वारा किया गया कारित किया गया अपराध भा0द0सं0 की धारा 308 के तहत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

षष्टमःयह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण शिवम सिंह, सुशील सिंह उर्फ श्री नारायन सिंह, अखिलेश सिंह उर्फ धीरज सिंह व देवेन्द्र सिंह उर्फ छोटू सिंह द्वारा वादिनी मुकदमा भावना कोरी को विवस्त्र करने के आशय से उस पर हमला किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354ख के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

सप्तमः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्तगण शिवम सिंह, सुशील सिंह उर्फ श्री नारायन सिंह, अखिलेश सिंह उर्फ धीरज सिंह व देवेन्द्र सिंह उर्फ छोटू सिंह द्वारा वादिनी मुकदमा भावना कोरी व उसके परिवारीजनों को भद्दी–भद्दी गालियां देकर साशय प्रकोपित किया कि वह लोकशान्ति भंग करें। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

अष्टमःयह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्तगण शिवम सिंह, सुशील सिंह उर्फ श्री नारायन सिंह, अखिलेश सिंह उर्फ धीरज सिंह व देवेन्द्र सिंह उर्फ छोटू सिंह द्वारा वादिनी मुकदमा भावना कोरी व उसके परिवारीजनों को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

नवमःयह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्तगण शिवम सिंह, सुशील सिंह उर्फ श्री नारायन सिंह, अखिलेश सिंह उर्फ धीरज सिंह व देवेन्द्र सिंह उर्फ छोटू सिंह द्वारा वादिनी मुकदमा भावना कोरी व उसके परिवारीजनों को अनुसूचित जाति का सदस्य जानते हुए लोकदृष्टि में आने वाले स्थान पर अपमानित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधि0 की धारा–3(1)द के अधीन दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

दशमःयह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्तगण शिवम सिंह, सुशील सिंह उर्फ श्री नारायन सिंह, अखिलेश सिंह उर्फ धीरज सिंह व देवेन्द्र सिंह उर्फ छोटू सिंह द्वारा वादिनी मुकदमा भावना कोरी व उसके परिवारीजनों जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य है, को जाति के नाम से गालियां दी। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधि0 की

धारा–3(1)ध के अधीन दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एकदशःयह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण शिवम सिंह, सुशील सिंह उर्फ श्री नारायन सिंह, अखिलेश सिंह उर्फ धीरज सिंह व देवेन्द्र सिंह उर्फ छोटू सिंह द्वारा वादिनी मुकदमा भावना कोरी, जो कि अनुसूचित जाति की सदस्या है, यह जानते हुए भी उसकी सहमति के बिना उसे लैंगिक प्रकृति का स्पर्श किया। इस प्रकार आप ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम धारा–3(1)w(i) के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वदशःयह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण शिवम सिंह, सुशील सिंह उर्फ श्री नारायन सिंह, अखिलेश सिंह उर्फ धीरज सिंह व देवेन्द्र सिंह उर्फ छोटू सिंह ने अनुसूचित जाति के वादिनी मुकदमा भावना कोरी व उसके परिवारीजनों के प्रति उपरोक्त आपराधिक कृत्य कारित किया। इस प्रकार आप ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम धारा–3(2)va के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(दिनेश कुमार मिश्र)
दिनांकः 31–07–2024 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जेओ कोड–यूपी06085

अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(दिनेश कुमार मिश्र)
दिनांकः 31–07–2024 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जेओ कोड–यूपी06085